



2026:AHC:38807

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3522 / 2026

सुरेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 23 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राम सुमेर चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

रिट याचिका पर आदेश:-

- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से तथा श्री आज़ाद राय, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।
- प्रतिवादी संख्या 5 से 26 को नोटिस जारी किया जाए। दो सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं।
- सभी प्रतिवादियों को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके पश्चात याचिकाकर्ता के पास पत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय होगा।
- शपथ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद प्रवेश / अंतिम निस्तारण हेतु सूचीबद्ध करें।

सिविल मिसलेनियस स्टे एप्लीकेशन संख्या 01 वर्ष 2026 पर आदेश:-

- याचिकाकर्ता द्वारा निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे मुकदमा संख्या 00704 / 2020, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या D202002420000704 के रूप में अंकित किया गया था। इसे प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), कौशाम्बी द्वारा दिनांक 25.03.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।
- उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत प्रदान की गई वैधानिक पुनरीक्षण दायर की गई थी, जिसे मुकदमा संख्या 464 / 2021, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या C2021020000464 के रूप में अंकित किया गया था। उक्त पुनरीक्षण को प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा दिनांक 29.11.2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।
4. मामले के इस पहलू को देखते हुए, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
5. तदनुसार, अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु आवेदन खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

20 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"